

KU/R/5274/15

Date 07.05.2015

अधिसूचना

मानव संसाधन विकास विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची के पत्रांक 5/वि/-79/2014-882 दिनांक 07.05.2015 के द्वारा राज्य सरकार से प्राप्त अनुमोदन के आलोक में निम्नलिखित महाविद्यालयों को बी.एड पाठ्यक्रम हेतु सत्र 2015-17 के लिए सशर्त तदर्थ संबंधन प्रदान किया जाता है :-

क्रम संख्या	महाविद्यालय का नाम
1.	स्वामी विवेकानन्द कॉलेज ऑफ एजुकेशन, सालबोनी
2.	करीम सिटी कॉलेज, जमशेदपुर
3.	आशु किस्कु एवं रवि किस्कु मेमोरियल टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, चाँडिल
4.	नेताजी सुभाष इन्सटीच्यूट ऑफ एजुकेशन, पोखारी
5.	इन्सटीच्यूट फॉर एजुकेशन, सरायकेला-खरसावाँ
6.	लियोला कॉलेज ऑफ एजुकेशन, जमशेदपुर
7.	जमिनि कांत बी.एड कॉलेज, सालबोनी

(क) यह संबंधन महाविद्यालयों को शैक्षणिक सत्र 2015-17 के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से पुनरीक्षित प्रस्वीकृति मिलने के पश्चात, ही मान्य होगा।

(ख) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम, 2014 में अंकित प्रावधानों, मापदंडों एवं शर्तों का सभी शिक्षण संस्थान ससमय अनुपालन करेंगे।

(ग) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा भविष्य में दिए जाने वाले मार्ग-दर्शन/निर्देशों का सभी शिक्षण संस्थान अक्षरशः अनुपालन करेंगे।

(घ) महाविद्यालय NCTE में दाखिल शपथ पत्र में अंकित पाठ्यक्रम व दाखिला क्षमता के अनुरूप निर्धारित सीटों पर राज्य सरकार के आरक्षण नियमानुसार नामांकन करेंगे।

(च) महाविद्यालय झारखण्ड राज्य वि०वि० अधिनियम 2000 (यथा संशोधित) में वर्णित सुसंगत धाराओं के अनुरूप विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर दिए गए सभी निर्देशों का पालन करेगा।

(छ) NCTE अथवा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों/निर्देशों के अनुपालन न किए जाने की स्थिति में विश्वविद्यालय जैसे संस्थान की संबद्धता समाप्त किए जाने की प्रक्रिया आरम्भ कर सकता है।

कुलपति के आदेश से

ह०/-

कुलसचिव

कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा।

प्रतिलिपि:-

1. प्राचार्य, सम्बंधित महाविद्यालय।
2. कुलपति/प्रतिकुलपति/कुलसचिव के सहायकों को उनके सूचनार्थ।
3. विश्वविद्यालय के सभी पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ।
4. संचिका में।

07.05.2015

कुलसचिव

कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा।

**KOLHAN UNIVERSITY**

CHAIBASA, WEST SINGHBHUM

JHARKHAND, PIN-833201

CONTACT NO. - 06582-255274

Ref. No. KUR/599/116

Date 10.05.16

अधिसूचना

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक 5/वि0 1-79/2014-1140, राँची दिनांक 10.05.2016 के आलोक में झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम अद्यतन संशोधित की धारा 4(19) के अधीन निम्नांकित वि० एड० महाविद्यालयों के अस्थायी संबंधन दीर्घीकरण प्रस्ताव पर निम्न संबंधन अवधि के लिए नीचे वर्णित शर्तों के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

क्रम संख्या	कॉलेज का नाम एवं पता	NCTE Recognition संबंधी पत्रांक/दिनांक एवं किस पत्र	संबंधन अवधि
1	2	3	4
1.	इन्स्टीच्यूट ऑफ एजुकेशन, विजया, सरायकेला-खरसावाँ	32079 दि० 25.05.15	2016-18
2. ✓	आशु किस्कु एवं रवि किस्कु मेमोरियल टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, लुपूगडीह, चांडिल	32369 दि० 29.05.15	2016-18
3.	जमिनीकांत महतो महाविद्यालय, सालबनी	32505 दि० 30.05.15	2016-18
4.	लोयला कॉलेज ऑफ एजुकेशन, जमशेदपुर	32698 दि० 31.05.15	2016-18
5.	स्वामी विवेकानंद कॉलेज ऑफ एजुकेशन, सालबनी	32330 दि० 28.05.15	2016-18
6.	करीम सिटी कॉलेज, जमशेदपुर	35161 दि० 21.08.15	2016-18
7.	नेताजी सुभाष इन्स्टीच्यूट ऑफ एजुकेशन, पोखारी, जमशेदपुर	32345 दि० 29.05.15	2016-18
8.	मधुसूदन महतो टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, चकधरपुर	31750 दि० 20.05.15	2016-18

शर्त :- महाविद्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि

(क) मॉ वैष्णोदेवी महिला महाविद्यालय बनाम उत्तर प्रदेश सरकार तथा अन्य द्वारा दायर याचिका संख्या WP(c) No. 276/2012 में पारित न्यायादेश की कंडिका - 71 में अंकित निम्न निर्देशों का अनुपालन संबंधित महाविद्यालय सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन प्रतिवेदन ससमय अट्रोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायेगे । ताकि उक्त प्रतिवेदन से विभाग को अवगत कराया जा सके ।

- छात्रों के नामांकन की पात्रता,
- परीक्षा का संचालन,
- विहित कोर्स के पूर्णताकी प्रक्रिया,
- एन0सी0टी0ई0 द्वारा दिए गए शर्तों का अनुपालन ।



KUR...7.43...117

Date ...10.05.2017

अधिसूचना

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग झारखण्ड सरकार राँची के पत्रांक 5/वि. 1-79/2014-1340, राँची दिनांक 09-05-2017 के आलोक में पाठ्यक्रम सत्र 2017-19, 2018-20 एवं 2019-21 के लिए झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम अद्यतन संशोधित की धारा 4(19) के अधीन निम्नांकित बी० एड० महाविद्यालयों के अस्थायी संबंधन दीर्घाकरण प्रस्ताव पर निम्न संबंधन अवधि के लिए वर्णित शर्तों के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है-

क्र० सं०	कॉलेज का नाम एवं पता	पाठ्यक्रम	सत्र	NCTE Recognition संबंधी पत्रांक/ दिनांक
1	Ashu Kisku Memorial & Rabi Kisku TTC, Lupungdih, Chandil	B.Ed	2017-19, 2018-20 एवं 2019-21	पत्रांक-32369 दि०-29.05.2015
2	Madhusudan Mahto TTC, Chakradharpur	B.Ed	2017-19, 2018-20 एवं 2019-21	पत्रांक-31750 दि०-20.05.2015
3	Jaminikant B.Ed College, Salboni	B.Ed	2017-19, 2018-20 एवं 2019-21	पत्रांक-32505 दि०-30.05.2015
4	Srinath College of Education, Adityapur	B.Ed	2017-19, 2018-20 एवं 2019-21	पत्रांक-45854 दि०-02.05.2016
5	Karim City College, Jamshedpur	B.Ed	2017-19, 2018-20 एवं 2019-21	पत्रांक-35161 दि०-21.08.2015
6	Swami Vivekanand College of Education, Salboni	B.Ed	2017-19, 2018-20 एवं 2019-21	पत्रांक-32330 दि०-28.05.2015
7	Jamini Kalyani Mahto College of Management, Science & Commerce, Salboni	B.Ed	2017-19, 2018-20 एवं 2019-21	पत्रांक-46157 दि०-02.05.2016
3	Netaji Subhash Institute of Education, Salboni	B.Ed	2017-19, 2018-20 एवं 2019-21	पत्रांक-32345 दि०-29.05.2015
1	Loyola College of Education, Jamshedpur	B.Ed	2017-19, 2018-20 एवं 2019-21	पत्रांक-32698 दि०-31.05.2015
1	Institute for Education, Seraikella-Kharsawan	B.Ed	2017-19, 2018-20 एवं 2019-21	पत्रांक-32079 दि०-25.05.2015

विद्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि-

माँ वैष्णों देवी महिला महाविद्यालय, उत्तर प्रदेश सरकार एवं अन्य द्वारा दायर याचिका संख्या- WP(C) No. 6/2012 में पारित न्यायादेश की कंडिका-71 में अंकित निम्न निदेशों का अनुपालन संबंधित महाविद्यालय शिचत करेंगे तथा अनुपालन प्रतिवेदन विश्वविद्यालय को ससमय उपलब्ध करायेंगे।

- छात्रों के नामांकन की पात्रता,
- परीक्षा का संचालन,
- विहित कोर्स के पूर्णता की प्रक्रिया,

JKR Office

**KOLHAN UNIVERSITY**

CHAIBASA, WEST SINGHBHUM

JHARKHAND, PIN-833201

CONTACT NO. - 06582-255274

Ref. No. KUR/947/2020

Date 25/11/2020

अधिसूचना

उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, (उच्च शिक्षा निदेशालय) झारखण्ड सरकार, राँची के पत्रांक DHE sec-5/AFFILIATION-COLLEGES-1/2020/HTESD-492 दिनांक 08.05.2020 एवं DHE sec-5/AFFILIATION-COLLEGES-1/2020/HTESD-986 दिनांक 16.09.2020 के आलोक में राज्य सरकार द्वारा अद्यतन स्टैच्यूट के प्रावधानों के आलोक में कडिका-2 में अंकित शर्तों के अधीन निम्न महाविद्यालयों को B.Ed पाठ्यक्रमों को सत्र 2020-22, 2021-23 & 2022-24 के लिए शर्ताधीन अस्थायी संबंधन दीर्घीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र.सं.	कॉलेज का नाम एवं पता	पाठ्यक्रम	सत्र	अभिधुवित
1.	Madhusudan Mahto Teachers Training College, Chakradharpur	B.Ed	2020-22, 2021-23, 2022-24	अस्थायी संबंधन दीर्घीकरण
2.	Jamini Kant B.Ed College, Salboni	B.Ed	2020-22, 2021-23, 2022-24	अस्थायी संबंधन दीर्घीकरण
3.	Srinath College of Education, Adityapur	B.Ed	2020-22, 2021-23, 2022-24	अस्थायी संबंधन दीर्घीकरण
4.	Karim City College, Jamshedpur	B.Ed	2020-22, 2021-23, 2022-24	अस्थायी संबंधन दीर्घीकरण
5.	Swami Vivekanand College of Education, Salboni	B.Ed	2020-22, 2021-23, 2022-24	अस्थायी संबंधन दीर्घीकरण
6.	Jamini Kalyani Mahato College of Management, Science & Commerce, Salboni	B.Ed	2020-22, 2021-23, 2022-24	अस्थायी संबंधन दीर्घीकरण
7.	Loyola College of Education, Jamshedpur	B.Ed	2020-22, 2021-23, 2022-24	अस्थायी संबंधन दीर्घीकरण
8.	Institute for Education, Seraikella	B.Ed	2020-22, 2021-23, 2022-24	अस्थायी संबंधन दीर्घीकरण
9.	D.B.M.S. College of Education, Jamshedpur	B.Ed	2020-22, 2021-23, 2022-24	अस्थायी संबंधन दीर्घीकरण
10.	Rambha College of Education, Gitilata	B.Ed	2020-22, 2021-23, 2022-24	अस्थायी संबंधन दीर्घीकरण
11.	Ashu Kisku Memorial & Rabi Kisku Teachers Training Institute, Chandil	B.Ed	2020-22	इस शर्त के साथ स्वीकृति दी जाती है कि ससमय महाविद्यालय द्वारा NCTE से स्वीकृति प्राप्त कर ली जायेगी अन्यथा संबंधन दीर्घीकरण के प्रस्ताव पर निर्णय लिये जाने हेतु विश्वविद्यालय स्वतंत्र होगा।

शर्तों:-

- महाविद्यालय, द्वारा विश्वविद्यालय के निरीक्षण प्रतिवेदन में दिये गये सुझावों एवं शर्तों का अनुपालन समय-सीमा के अन्दर किया जाएगा।
- महाविद्यालय, पूर्व क्षेत्रीय समिति, राष्ट्रीय उच्चशिक्षा शिक्षा परिषद, भुवनेश्वर द्वारा लगाये गये शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।
- महाविद्यालय, राज्य सरकार द्वारा निर्गत परिचियन में वर्णित प्रावधान का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करेगा।
- विभाग द्वारा महाविद्यालयों का कमी गी औचक निरीक्षण किया जा सकेगा एवं किसी भी प्रकार अनियमितता पाये जाने या NCTE/राज्य सरकार /विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप व्यवस्था नहीं पाये जाने पर संबंधता समाप्त करने की नियमानुसार कार्यवाई की जायेगी।
- महाविद्यालयों को 02 वर्ष के अन्दर NAAC Accrediation कराना आवश्यक होगा।

कुलपति के आदेशानुसार

ह0/-

कुलसचिव

कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा

दिनांक 25/11/2020

आपांक KUR/947/2020

प्रतिलिपि:-

- प्राचार्य, संबंधित महाविद्यालय।
- कुलपति /प्रतिकुलपति के सहायक को उनके सूचनाथ।
- परिक्षा नियंत्रक/ उप कुलसचिव को सूचनाथ एवं कार्यथ।
- संचिका में।

कुलसचिव

कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा।